दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर–273009

पत्रांक : सम्बद्धता/2026–27/4477

दिनांक : 30/अप्रैल/2026.
07/05

अस्थाई–सम्बद्धता विस्तरण–आदेश

सेवा में,
प्रबन्धक,
Kailash Institute of Management, Gida, Gorakhpur।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत B.C.A. (Bachelor of Computer Application) and B.B.A. (Bachelor of Business Administration) विषय/पाठ्यक्रम की शैक्षिक सत्र 2026–27 में विस्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उक्त पाठ्यक्रम की सम्बद्धता विस्तरण हेतु प्राप्त आवेदन के संदर्भ में स्थाई सम्बद्धता का मानक पूर्ण न होने/सम्बद्धता मा0 न्यायालय के आदेश के अधीन होने को दृष्टिगत रखते हुए सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 22.04.2026 की संस्तुति एवं मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 29.04.2026 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अधीन मात्र शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु अस्थाई–सम्बद्धता विस्तरण–आदेश निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है–

1. महाविद्यालय/संस्था द्वारा एक वर्ष की अवधि में स्थाई सम्बद्धता के सभी निर्धारित मानको को पूर्ण करते हुए स्थाई सम्बद्धता प्राप्त कर ली जायेगी, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं की मानकानुसार नियुक्ति/उपलब्धता बनाई रखी जायेगी तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही उनके अंशदायी भविष्य निधि की कटौती कर नियमानुसार जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर–2–2007–2(494)/2007 दिनांक 17 अक्टूबर, 2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर–2–2008– 2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दि0 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दि0 30 अप्रैल, 2013 एवं शासनादेश संख्या 226/सत्तर–2–2020–16(31)/2018 दि0 13 मार्च, 2020 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
8. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
10. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
11. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/ अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनश्चित करेगी।
12. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
13. महाविद्यालय द्वारा ए.आई.एस.एच.ई. पोर्टल पर डी.सी.एफ.–।। प्रारूप पर प्रतिवर्ष नियमित रूप से निर्धारित समयान्तर्गत डाटा पूरित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
14. महाविद्यालय विश्वविद्यालय/शासन/एन0सी0टी0ई0/बी0सी0आई0/ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या : उपरोक्तानुसार, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. प्राचार्य, Kailash Institute of Management, Gida, Gorakhpur।
4. प्रभारी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. संबंधित पत्रावली।

उप कुलसचिव